

## निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 137 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी पौड़ी, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी पौड़ी, के माह 04/2015 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं मनोज कुमार सिंह पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार व.लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15/03/2019 से 16/03/2019 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### भाग-1

1. **परिचयात्मक:** प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखा परीक्षा में 04/2015 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: .....

(अ) विगत पाँच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

( ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		बचत स्थापना	बचत गैर स्थापना
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2016-17	-	-	123.17	107.35	0.28	0.28	15.82	-
2017-18	-	-	116.69	114.94	2.76	2.76	1.75	-
2018-19	-	-	117.86	114.06	-	-	3.80	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

( ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य	बचत
2015-16	NIL				
2016-17					
2017-18					
2018-19					

3. इकाई को बजट आवंटन ..... द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ..... श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

.सचिव पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

अपर निदेशक पशुपालन विभाग, गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी

कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी

**लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी पौड़ी, को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी पौड़ी, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2015,3/2017 एवं 05/2017, 02/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग 2 ब

**प्रस्तर :1 - आहरण वितरण अधिकारी के दायित्व का निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं किए जाने का प्रकरण ।**

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 5 के परिशिष्ट 26 के अनुसार आहरण वितरण अधिकारी कृतव्य निम्नलिखित हैं :- नगदी का संभालना / विभागीय तिजोरी का रख रखाव / रोकड़ बही का रख रखाव व प्रति दिन बंदी किया जाना / अवशेष राशि का भौतिक रूप से मिलान/वेतन व भत्तो का भुगतान /रसीद बहियों की हिफाजत / राजस्व की वापसी /अन्य सभी प्रकार के भुगतान कोई भी राशि यदि किसी को भुगतान की जा रही है तो आहरण वितरण अधिकारी का यह दायित्व है कि वह ये देखे कि यह व्यक्ति इस राशि को पाने का वह वास्तविक रूप से हकदार है या नहीं , आहरण वितरण अधिकारी द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख इस प्रकार हैं । (1) pay bill register (2) T.A. check register for Gazetted officers (3) T.A. check register for Non Gazetted officers (4) register of contingent charges (5) Acquittance roll for disbursement of pay and T.A.(6) register of bill presentation in the treasury (7) Register of bills sent for encashment (8) register in form 11(c) (9) cash book (10) register of BM 4 (11) register of security taken from government account (12) register of monthly deduction of security installment (13) GPF ledger group D (14) Broad sheet in form 11 (15) Index register (16)(a) GPF ledger group ABC (b) yearly broad sheet (17) register of group insurance monthly deductions (18) pension control register (19) sanction and drawal register of interim pension and death cum retirement gratuity (20) register of advances (21) register of file (22) register of register (23) register of rent control (24) register of service book, service book (25) stock register (26) postage stamp register (27) telephone register (28) log book of vehicle (29) treasury register (30) GPF passbook etc. उक्त सभी अभिलेखों का रख रखाव पशु चिकित्सा अधिकारी पौड़ी के द्वारा नहीं किया जा रहा था केवल वेतन आहरण का कार्य ही किया जा रहा था इससे संबन्धित अभिलेख का रख रखाव नहीं किया जा रहा था । लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि- लिपिक/ प्रशासनिक अधिकारी का पद/ तैनाती नहीं होने के कारण उक्त अभिलेख का रख रखाव मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पौड़ी के कार्यालय में उनके कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि पशु चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत पदों सूची में लिपिक व प्रशासनिक अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है बिना स्वीकृति के तैनाती संभव नहीं है। अतः आहरण वितरण अधिकारी के दायित्व का निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा था क्योंकि कुछ अभिलेख दूसरे कार्यालय ओर कुछ अभिलेख अपने कार्यालय में होने के कारण अभिलेखों का मिलान भी उचित रूप से नहीं हो पा रहा था । आहरण वितरण अधिकारी के दायित्व का निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

### भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं०/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'
प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
NIL				

### भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

## भाग-V

### आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी पौड़ी, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

शून्य

2. सतत् अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
----------	-----	-------

1.	डा. विजय पाल सिंह जादौन	पशु चिकित्सा अधिकारी
----	-------------------------	----------------------

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी पौड़ी, को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - II